न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024 / 377 दर्ज तिथिः–14.08.2024

1. केरिंगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मे

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. उदा पुत्र नोनजी
2. अन्तरो देवी पत्नी छोगाराम
3. अमराराम पुत्र मूलाराम
4. उम्मेदा पुत्र रूडा
5. कुष्ठा पुत्र हरा
6. कृष्ण पुत्र भारताराम
7. केसाराम पुत्र ईसराराम
8. खाना पुत्र रूडा
9. गजा पुत्र रूडा
10. चेनाराम पुत्र छोगाराम
11. चुनीदेवी पत्नी गेनाराम
12. जगदीश पुत्र गेनाराम
13. जामताराम पुत्र भारताराम
14. ढमा पुत्र रूडा
15. तगीदेवी पत्नी मुलाराम
16. पन्ना पुत्र रूडा
17. प्रभुराम पुत्र गेनाराम
18. प्रेमा पुत्र नोनजी
19. पुरा पुत्र रूडा
20. प्रागाराम पुत्र ईसराराम
21. भेराराम पुत्र भारताराम
22. भावाराम पुत्र छोगाराम
23. लेहरो पत्नी हरा
24. मेरा पुत्र सालू
25. मांगा पुत्र नोनजी
26. मोबता पुत्र रूडा
27. रिड़मल पुत्र सालू
28. लुम्बा पुत्र लाला

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:19 IST
Reason: SelfAttested

29. सांवलाराम पुत्र मुलाराम
जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री सुखराम विश्नोई
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 22 हाल खसरा नम्बर 73 / 1 / 0.2833 है0, 78 / 1 / 0.1781 है0 मौजा रतनपुरा में प्रार्थी पूर्ण हिस्से का खातेदार, खाता संख्या 99 हाल खसरा संख्या 46 / 0.0162 है0, 47 / 2.2015 है0 मौजा रतनपुरा में प्रार्थी 1 / 24 हिस्से का खातेदार, खाता संख्या 15 हाल खसरा संख्या 18 / 1 / 1.0684 है0, 560 / 21 / 0.3318 है0 मौजा जसवंतनगर में प्रार्थी पूर्ण हिस्से का खातेदार, खाता संख्या 58 हाल खसरा संख्या 288 / 1.0603 है0 मौजा जसवंतनगर में प्रार्थी 1 / 24 हिस्से का खातेदार, खाता संख्या 123 हाल खसरा संख्या 195 / 4.7024 है0, 294 / 8.1908 है0, 377 / 1.0279 है0 मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी में 1 / 24 हिस्से का खातेदार, खाता संख्या 133 हाल खसरा संख्या 542 / 15.7746 है0 मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी में प्रार्थी 1 / 24 हिस्से का खातेदार वाके ग्राम मघाणी मेगवालों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075—2078, 2072—2075, 2076—2079 में खाता संख्या 22, 15 में केहरा पुत्र लाला जाति मेघवाल, खाता संख्या 99, 58 में केहरिया पुत्र लाला जाति भांभी, खाता संख्या 123 में केरींगा पुत्र लाला जाति भांभी एवं खाता संख्या 133 में प्रार्थी का नाम केरीया पुत्र लाला जाति भांभी अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम केरींगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2075—2078, 2072—2075, 2076—2079 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम केरिंगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से जांच रिपोर्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:19 IST
Reason: SelfAttested

तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में केरींगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल के स्थान पर केहरा पुत्र लाला जाति मेघवाल, केहरिया पुत्र लाला जाति भांभी, केरींगा पुत्र लाला जाति भांभी, केरीया पुत्र लाला जाति भांभी दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में केहरा पुत्र लाला जाति मेघवाल, केहरिया पुत्र लाला जाति भांभी, केरींगा पुत्र लाला जाति भांभी, केरीया पुत्र लाला जाति भांभी दुरूस्त कर सही नाम केरींगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075—2078, 2072—2075, 2076—2079 मौजा रतनपुरा, जसवंतनगर एवं मघाणी मेगवालों की ढाणी के नवीन खाता संख्या 22, 15, 99, 58, 123, 133 में प्रार्थी के दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी के नाम का विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
केहरा पुत्र लाला जाति मेघवाल	पूर्ण	73 / 1 78 / 0.1781	0.2833 है0 0.1781 है0
केहरिया पुत्र लाला जाति भांभी	1 / 24	46 47	0.0162 है0 2.2015 है0
केहरा पुत्र लाला जाति मेघवाल	पूर्ण	18 / 1 560 / 21	1.0684 है0 0.3318 है0
केहरिया पुत्र लाला जाति भांभी	1 / 24	288	1.0603 है0
केरींगा पुत्र लाला जाति भांभी	1 / 24	195 294 377	4.7024 है0 8.1908 है0 1.0279 है0
केरीया पुत्र लाला जाति भांभी	1 / 24	542	15.7746 है0

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः—

दस्तावेज का विवरण	नाम
जनाधार कार्ड	केरिंगाराम पुत्र लालाराम
पहचान पत्र	केरिंगाराम पुत्र लालाराम
आधार कार्ड	केरिंगाराम पुत्र लालाराम
राशन कार्ड	केरिंगाराम पुत्र लालाराम
जॉब कार्ड	केरिंगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:19 IST
Reason: SelfAttested

1. *(....)* **केहरा पुत्र लाला जाति मेघवाल, केहरिया पुत्र लाला जाति भांभी, केरींगा पुत्र लाला जाति भांभी, केरीया पुत्र लाला जाति भांभी एवं केरिंगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल** ***दोनों एक ही व्यक्ति*** *के नाम है।*
2. *प्रार्थी का जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में नाम पुरखाराम अंकित है तथा प्रार्थी को* **केरिंगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल** *नाम से ही जाना जाता है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट केहरा पुत्र लाला जाति मेघवाल, केहरिया पुत्र लाला जाति भांभी, केरींगा पुत्र लाला जाति भांभी, केरीया पुत्र लाला जाति भांभी एवं केरिंगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम केरिंगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **केहरा पुत्र लाला जाति मेघवाल, केहरिया पुत्र लाला जाति भांभी, केरींगा पुत्र लाला जाति भांभी, केरीया पुत्र लाला जाति भांभी** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **केरिंगाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:19 IST
Reason: SelfAttested